न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सीवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 12/2022

GCMS NO. : 2022/34

–:: प्रार्थीगण ::– **बनाम** **–:: अप्रार्थीगण ::–**

1. बुद्धा राम पुत्र धर्मा राम
2. रामप्यारी धर्मपत्नी धर्मा राम
   जातियान– बावरी, निवासीगण
   बलाड़ा तहसील जैतारण
   जिला पाली।
3. शांति देवी पुत्री धर्मा राम
   जाति– बावरी, निवासी बलाड़ा
   हाल निवासी निमाज तहसील
   जैतारण जिला पाली।

1. धर्मा राम पुत्र मिसरूराम
   जाति–बावरी निवासी बलाडा
   तहसील जैतारण जिला पाली।
2. उपपंजीयन अधिकारी एवं
   तहसीलदार तहसील कार्यालय
   जैतारण जिला पाली।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
   जिला कलेक्ट्रर, पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 21/04/2022

उपस्थितः. 1. श्री धीरवीर सिंह सिसोदिया, श्री राजूनाथ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय :– **दिनॉकः 31/05/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बलाडा, पटवार हल्का बलाडा, तहसील जैतारण जिला पाली में सायलान की पुश्तैनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 107, 91, 92, 93, 94, 95, 96 रकबा 10.8698 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम एवं खसरा संख्या 44/1, 577 रकबा 0.3561 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा संख्या 709 रकबा 6.9930 हैक्टेयर किस्म सेवज दोयम एवं खसरा संख्या 97 रकबा 4.8077 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम आई हुई है। जिस पर सायलान अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त करता आ रहा हैं व शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा है। इस वर्ष भी सायलान अपनी भूमि में उन्हालु की फसल बो रखी है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार की है। नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। सायलान परिवार की वंश वृशावली है प्रार्थना–पत्र में अंकित है। वंश वृक्षावली अनुसार सायलान संख्या 02 के ससुर एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

सास एवं सायल संख्या 01 एवं 03 दादा एवं दादी मिसरू एवं मैना देवी फौत हो चुके हैं। जिनके एक पुत्र धर्माराम है तथा गैरसायल धर्मा राम के एकमात्र वारिसान सायलान है । गैरसायल धर्मा राम सायल संख्या 02 का पति एवं सायल संख्या 01 व 03 का पिता सायलान के साथ ही उसके रहवासी मकान में निवास करते है। सायल के पति को शराब व नशे की लत है। दिनांक 13/04/2022 को सायल के पति व सायल में पारिवारिक कारणों को लेकर बोलचाल हो गई तो गैरसायल धर्माराम ने धमकी दी कि वह अलग मकान लेकर रहेगा तथा अपने हिस्से की वादगस्त कृषि भूमि को बेचकर मिलने वाली रकम को शोक मौज उडा देगा तथा सायल को भूमिहिन कर देगा। पूर्व में भी गैरसायल धर्मा राम ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में से कुछ हिस्से का बेचान गैरसायल की सहमति के बिना कर चुका है और बाकी की भूमि का बेचान करने पर उतारू है। सायल ने गैरसायल धर्मा राम को समझाया तो भी वह अपनी जिद पर अडे रहे, तब सायल ने दिनांक 14/04/2022 को राजस्व रेकर्ड की वादग्रस्त भूमि बाबत् नकलें प्राप्त की। वादग्रस्त भूमि सायल की पैतृक पुश्तैनी है, जो सायल संख्या 02 के ससुर एवं सायल संख्या 01 व 03 के दादा मिसरू पुत्र रूपा के नाम से प्रारम्भ में राजस्व रेकर्ड में दर्ज होकर उनके कब्जा काश्त में थी। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में सायल का जन्म के साथ ही हक, हिस्सा व अधिकार कानूनन उत्पन्न हो गया है तथा आज दिन भी उक्त भूमि में सायल का हक हिस्सा व अधिकार सुरक्षित हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि ही सायल के परिवार के जीवनयापन का साधन है। गैरसायल धर्माराम को अकेले उक्त भूमि को बैचान करने का कानूनी अधिकार नही होते हुए भी जबरन बैचान करने पर आमादा है और पूर्व में भी बेचान कर चुका है। गैरसायल वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान कर देता है तो सायल को अपने खातेदारी, काश्तकारी जीवनयापन, साम्पैतिक व कानूनी अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा तथा सायल को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकेगी। तथ्यों, परिस्थितियों तथा दस्तावेजात एवं मौके पर लगातार कब्जा काश्त की रूह से सायल के पक्ष में बहुत ही प्रथम दृष्टिया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रत्येक दृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान इस आश्य की जारी फरमावें कि गैरसायलान धर्मा राम प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि का किसी भी अन्य व्यक्ति को बैचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, बख्शीश, वसीयत, दान आदि नही करें, न ही उस बाबत् कोई दस्तावेज तकमील व पंजीयन करावें। गैरसायल संख्या दो व तीन भी ऐसे किसी दस्तावेजात् के प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करे, न ही वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जरियें नामान्तरण के कोई नई प्रविष्ठि करें। सायल अपनी कृषि भूमि का मन माफिक उपयोग, उपभोग करें, काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करें। उसमें किसी तरह की बाधा, रोकटोक, अडचन, व्यवधान न तो गैरसायल स्वयं करें न ही उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, नौकरों,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) जैतारण (पाली)

एजेन्ट, हाली आदि से करवायें। उपरोक्त आश्य की डिक्री व निर्णय बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान् पारित फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई परन्तु बाद सम्मन सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 2 व 3 से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है अतः गैरसायल संख्या 2 व 3 से जवाब लिया जाना अपेक्षित नहीं है।

बहस वकील वकील वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थीगण के वादपत्र के अबलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2074-2077 ग्राम बलाडा खसरा नम्बर 107, 91, 92, 93, 94, 95, 96 रकबा 10.8698 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 44/1, 577 रकबा 0.3561 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 709 रकबा 6.9930 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 97 रकबा 4.8077 हैक्टेयर है के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। जबकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी होने से उनका उक्त आराजी में हक-अधिकार जन्म से निहित होने के कथन किये है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने तथाकथित हक-अधिकार की घोषणा का वाद प्रस्तुत न कर केवल स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किस प्रकार सम्पूर्ण आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित है। जबकि वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अन्य सहखातेदार भी दर्ज है जिन्हें वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। साथ ही प्रार्थीगण का नाम वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में दर्ज नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। साथ ही

Signature Not Verified
Digitally Signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रार्थीगण यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि किस प्रकार वादग्रस्त आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विद्यमान है। साथ ही, प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त आराजी में हक–अधिकार की घोषणा के संबंध में किसी प्रकार के कोई कथन नहीं किये है न ही ऐसा अनुतोष चाहा है। अतः प्रार्थीगण यह साबित करने में विफल रहे है कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो किस प्रकार उन्हें अपूरणीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थी अभिलिखित खातेदार है तथा भू–अभिलेख में उसके साथ अन्य व्यक्ति भी सह–खातेदार के रूप में दर्ज है जिन्हें वादपत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। किसी अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से वंचित होना पड़ेगा। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है। फलतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण /वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 31/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 11:28:04 IST
Reason: SelfAttested